तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2.9.20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दि. 23.9.20 को पेश हो।
23.9.20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दि. 21.10.20 को पेश हो।
21.10.20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दि 11.11.20 को पेश हो।
11.11.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी चुनाव में व्यस्त उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 9.12.20 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
9.12.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी चुनाव में व्यस्त उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 6.1.2021 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
6.1.2021	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी कोर्ट-परिसर में उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 3.2.2021 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
3.2.21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दि. 10.3.21 को पेश हो।
10.3.21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी ...

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री महेशचन्द्र मान (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 60 / 2019 **दायर तारीख 30.08.2019**

अनवान्

गुलाब पुत्र ऊंकार जाति धाकड़ उम्र 70 वर्ष व्यवसाय काश्त निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. प्रभुलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रामलाल पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र 43 वर्ष पेशा खेती निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. कैलाशचन्द्र पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र 42 वर्ष पेशा खेती निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. सत्यनारायण पिता घीसा जाति धाकड़ उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. रमेश पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र 37 वर्ष पेशा खेती निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. कमलेश पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र 35 वर्ष पेशा खेती निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः– 10 / 03 / 2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते की भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 1002 रकबा 0–17 बीघा भूमि का अभिलिखित सामलाती खातेदार हैं। जिसे अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रह काश्त करने का पूर्ण अधिकार हैं। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। फिर भी प्रतिवादीगण ने आराजी संख्या 1002 रकबा 0–17 बीघा में से 0–13 बीघा भूमि में कब्जा कर लिया हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी को अपनी आराजी से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने पत्थरगढी कराने को कहा। वादी ने दिनांक 12.04.2018 को विवादित आराजीयात की पत्थरगढी करवाई व बाद पत्थरगढी के सीमा पर मुटाम लगा दिये फिर भी प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा नहीं हटाया। प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रखता हैं। वादी स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त

लगातार पेज संख्या 02 पर

10.3.21

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाडा

करने का अधिकारी हैं। वादी ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 1002 रकबा 0–17 बीघा में से 0–13 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण प्रभुलाल पिता घीसा धाकड़, रामलाल पिता घीसा धाकड, कैलाशचन्द्र पिता घीसा धाकड़, सत्यनारायण पिता घीसा धाकड़, रमेश पिता जीतमल धाकड़, कमलेश पिता जीतमल धाकड़ निवासी बिजौलियां खुर्द का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादर फरमायी जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादीगण वाबजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की गयी।

वकील वादी ने ग्राम बिजौलियां खुर्द की नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 पेश की है एवं पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 12.04.2018 पेश किया हैं।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 गुलाब पिता ऊंकार धाकड़ नि0 छोटी बिजौलियां को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–2 गोपाल पिता गुलाब धाकड़ नि0 छोटी बिजौलियां को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी हैं।

पीडब्ल्यू–1 गुलाब पिता ऊंकार धाकड़ नि0 छोटी बिजौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि मैंने जो दावा किया जो छोटी बिजौलियां में स्थित हैं इसकी जमाबन्दी की नकल प्रदर्श –1 व नक्शा ट्रेस पेश किया जो प्रदर्श –2 हैं। मेरी खातेदारी जमीन पर 3 वर्ष पहले प्रतिवादीगण प्रभुलाल, रामलाल, कैलाश, सत्यनारायण रमेश, कमलेश ने नाजायज कब्जा कर लिया मैंने 2 वर्ष पहले पत्थरगढ़ी करवायी थी जो प्रतिवादीगण का मेरी जमीन 0–17 बीघा पर नाजायज कब्जा निकला पत्थरगढी मैंने पेश की जो प्रदर्श –3 हैं। मेरी जमीन से मेरे कहने से नाजायज कब्जा नहीं हटा रहे हैं। मेरी जमीन की कोट के पत्थर गिरा दिए मैं 70 साल का वृद्ध व्यक्ति हूं मेरी जमीन पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटा कर मुझे कब्जा दिलवाया जावें।

पीडब्ल्यू–1 गोपाल पिता गुलाब धाकड नि0 छोटी बिजौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि वादग्रस्त जमीन छोटी बिजौलियां में स्थित हैं जिसकों मै जानता हूं 3 वर्ष पहले वादी के खाते की 17 बिस्वा जमीन पर प्रतिवादीगण प्रभुलाल, रामलाल, कैलाश, सत्यनारायण रमेश व कमलेश ने नाजायज कब्जा कर लिया। मेरे सामने जमीन की पत्थरगढी की हुई थी जिसे सवा दो वर्ष हो गए प्रतिवादीगण को कहने पर भी कब्जा नही हटा रहे है। पत्थर की कोट लगी थी उसे भी गिरा दिया। खातेदार गुलाब को काश्त नही करने दे रहे हैं।

10.3.21

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा